बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
प्रेस नोट

वर्त्तमान में दस्तावेजों का निबंधन ई–निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। उक्त सॉफ्टवेयर में पक्षकारों द्वारा संपत्ति के अंतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से दस्तावेज के विवरण यथा–क्रेता/विक्रेता का नाम, संपत्ति का विवरण एवं मूल्य की प्रविष्टि की जाती है। शुल्कों का भुगतान ऑनलाईन किये जाने के उपरांत ऑनलाईन अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है। निबंधन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर पक्षकारों द्वारा निष्पादित भौतिक दस्तावेज कार्यालय में उपस्थापन के उपरांत निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025–26 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डी0आई0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत निबंधन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन एवं पेपरलेस किये जाने की योजना है।

राज्य सरकार द्वारा भी बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किये जाने की घोषणा की गयी है।

बिहार निबंधन नियमावली, 2026 लागू होने के पश्चात निबंधन की प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस होगी। पेपरलेस निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार नही करना होगा, दस्तावेज ई–फाईलिंग के माध्यम से निबंधन हेतु उपस्थापित किया जायेगा। दस्तावेज निबंधन में पक्षकारों एवं निबंधन पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। दस्तावेज निबंधित किये जाने के उपरांत कार्यालय द्वारा सृजित दस्तावेज की एक प्रति उपस्थापक को सौंप दी जाएगी तथा निबंधित दस्तावेज की पीडीएफ फाइल का एक लिंक भी निबंधित दस्तावेज के सभी पक्षकारों को पंजीकृत मोबाइल/ई–मेल पर अग्रेषित किया जाएगा। साथ ही मोबाईल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे निबंधन कार्य में पारदर्शिता, सुरक्षा एवं निबंधन प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होगी। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा, जिससे गो ग्रीन एवं ग्रीन गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

(2)

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

कतिपय शर्त्तों के अधीन मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु कृषि विभाग की मौजा– गाजीपुर, थाना सं0–191, जमाबंदी संख्या – 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बिहार पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्राचीन केन्द्र रहा है। राज्य में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा देश–विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चालू की गयी हैं। मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्राचीन अंग जनपद के रूप में पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है। तारापुर, मुंगेर शिव परिपथ के मुख्य केन्द्रों में से एक है, जो काँवरिया पथ पर विद्यमान है। इस पथ पर प्रतिवर्ष विशेषकर श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण /काँवरिया सुल्तानगंज से देवघर जलाभिषेक हेतु पैदल यात्रा करते हैं। मुँगेर में ही विश्व प्रसिद्ध 'बिहार योग विद्यालय' अवस्थित है, जहाँ पर विश्व के कोने–कोने से विद्यार्थी योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मुंगेर जिले में पर्यटकीय, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

ईशा फाउण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त संस्था द्वारा राज्य में आदियोगी और योग केन्द्र की अन्य सुविधाओं की स्थापना तथा आदियोगी की प्रतिष्ठित प्रतिमा की प्रतिकृति की स्थापना हेतु 10–20 एकड़ भूमि के निःशुल्क आवंटन का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल का निर्माण एवं प्रबंधन उनके द्वारा किया जा सके।

मंत्रिपरिषद् द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु कृषि विभाग की मौजा– गाजीपुर, थाना सं0–191, जमाबंदी संख्या – 289 की 15 एकड़ 01 डिसमिल (पन्द्रह एकड़ शून्य एक डिसमिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस स्थल के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा ईशा फाण्डेशन, ईशा योग केन्द्र, वेल्लियांगिरी फुटहिल, कोयंबटूर, तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) कर 1 रुपये के टोकन शुल्क पर लीज के माध्यम से 99 वर्ष के लिए उक्त भूमि हस्तान्तरित की जा सकेगी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया जायेगा। निर्माण कार्य पर होने

वाले व्यय का वहन उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। निर्माण के उपरांत उक्त स्थल का प्रबंधन भी उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। उक्त भूमि पर समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाओं के विकास से न केवल आस–पास के क्षेत्र का विकास होगा बल्कि कांवरिया पथ के श्रद्धालुओं को सुविधाओं के साथ–साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

3

सारण जिलान्तर्गत सोनपुर में अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास एवं भू–अर्जन किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि 680,00,00,000/– (छः सौ अस्सी करोड़) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

सारण जिलान्तर्गत सोनपुर में अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इस स्थल के पर्यटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिक्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर समग्र एवं व्यापक रूप से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस स्थल पर ही विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में विदेशी एवं देशी पर्यटकों का आगमन होता है। इस मंदिर परिक्षेत्र का समग्र एवं वृहद् विकास पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में भ्रमण हेतु आकर्षित कर सकेगा। साथ ही व्यापक स्तर पर पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। यह वृद्धि रोजगार सृजन एवं व्यापार की नयी संभावनाऐं सृजित कर सकेगा।

इन तथ्यों के आलोक में उक्त मंदिर परिक्षेत्र के वृहद एवं समग्र पर्यटकीय विकास हेतु प्राक्कलित राशि 680,00,00,000/– (छः सौ अस्सी करोड़) रूपये मात्र की कार्य–योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान बाबा हरिहरनाथ मंदिर की बाह्य संरचना एवं परिसर का उन्नयन, मंदिर परिक्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं एवं भवनों का निर्माण, साईट के विकास तथा निर्मित अवसंरचनाओं का 10 वर्षों के लिए प्रभावी अनुरक्षण एवं भू–अर्जन इत्यादि से संबंधित कार्य कराये जायेगें। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जायेगा।

उक्त परिपेक्ष्य में उल्लेखित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

21/4/22

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

(5)

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित **"प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आई0 टी0 आई0 (पी0 एम0 – सेतु)"** योजनान्तर्गत राज्य के 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किये जाने के निमित्त कुल लागत रूपये 3615.00 करोड़ (रूपये तीन हजार छः सौ पन्द्रह करोड मात्र) एवं राज्यांश 33% रूपये 1192.95 करोड़ (एक हजार एक सौ बानवे करोड़ पन्चानवे लाख) मात्र के साथ पी0 एम0 – सेतु दिशानिर्देश अंगीकृत करते हुए योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

(5)

।। प्रेस नोट ।।

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–9(7) के तहत् पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया एवं मुंगेर में चिह्नित टाउनशिप के विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान अधिसूचित करने (पटना के संदर्भ में जोनल प्लान) के लिए दिनांक–31.03.2027 तक तथा मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर एवं सीतामढ़ी (सीतापुरम) में चिह्नित टाउनशिप के विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र के लिए आयोजना क्षेत्र का विस्तार करते हुए मास्टर प्लान अधिसूचित करने के लिए दिनांक–30.06.2027 तक भूमि के क्रय–विक्रय/हस्तांतरण एवं भूमि का विकास/भवनों के निर्माण से संबंधित सभी कार्यो पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया है तथा उक्त सभी 11 टाउनशिप के नामों एवं अनुशंसित विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त कार्य से राज्य में टाउनशिप के विकास से सुनियोजित शहरीकरण एवं मास्टर प्लान– आधारित विकास सुनिश्चित होगा, जिससे नये आर्थिक गतिविधि केन्द्रों का निर्माण के साथ–साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिर्वतन होगा साथ ही नये रोजगार का सृजन होगा तथा नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाऐं मिलेंगी। इस प्रकार इन सैटेलाईट टाउनशिप के विकास से मौजूदा नगरों पर भार कम होगा एवं शहरी विस्तार योजनाबद्ध रूप से हो सकेगा एवं निजी/संस्थागत निवेश में वृद्धि होगी।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

6

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

आई०आई०टी० पटना परिसर में 11 एकड़ भूमि पर कुल अनुमानित लागत राशि ₹ 480,71,68,700.00 (चार सौ अस्सी करोड़ इकहत्तर लाख अड़सठ हजार सात सौ) मात्र पर आई०आई०टी० पटना रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आई०आई०टी० पटना को सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹ 305,00,00,000.00 (तीन सौ पाँच करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. आईआईटी पटना रिसर्च पार्क अंतर्गत निम्नलिखित सेक्टर पर फोकस किया जाएगा :–

- इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं वायरलेस टेक्नोलॉजी
- हेल्थकेयर – टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन
- एडवांस्ड मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट
- अर्बनाईजेशन, बिल्डिंग एंड इनवायरमेंट
- एग्रीकल्चर/क्लीन वाटर एंड रिसाइक्लींग
- डेटा एनालिटिक्स, ए०आई०/एम०एल० एवं ब्लॉकचेन
- आई०ओ०टी० इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज
- महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले नवाचार और समावेशी उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
- आईआईटी पटना को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- रिसर्च पार्क को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर सार्वजनिक परिसंपत्ति के रूप में विकसित करना।

3. आई०आई०टी० रिसर्च पार्क के स्थापना से निम्नलिखित लाभ परिलक्षित होंगे:–

- संचालन शुरू होने पर 1–2 वर्षों में 100 से अधिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) आधारित कंपनियों की स्थापना।
- 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन।
- नवाचार–आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव।
- राज्य को पूर्वी भारत के नवाचार में प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- Fortune 1000 कंपनियों को दीर्घकालिक पट्टे (20 वर्ष या उससे अधिक) पर स्थान उपलब्ध कराकर शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान (Collaborative Research) को बढ़ावा देना।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–1151 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत Electronics System Design & Manufacturing (ESDM) Incubation Centre की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से Matching Grant की राशि ₹ 25,00,00,000.00 (पचीस करोड़) मात्र आई०आई०टी० पटना को उपलब्ध कराया गया। आई०आई०टी० पटना का इन्क्यूबेशन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण तथा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में स्टार्ट–अप्स को सहयोग प्रदान करने पर केन्द्रित है।

2. निदेशक, आई०आई०टी० पटना ने पत्रांक–शून्य दिनांक 09.03.2026 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना 2016 में की गयी। इसके पश्चात् सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से 200 से अधिक स्टार्ट–अप्स को सहायता प्रदान किया जा चुका है। केन्द्र उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और लगातार दो वर्षों से बिहार में सर्वश्रेष्ठ इन्क्यूबेटर का दर्जा प्राप्त कर चुका है, इस आलोक में इसे विस्तारित किया जाना अत्यावश्यक है।

उक्त के आलोक में इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज–2 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की ओर से आई०आई०टी० पटना को सहायक अनुदान की कुल राशि ₹ 39,01,00,000.00 (उनचालीस करोड़ एक लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है।

3. इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज–2 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाएंगे :–

(क) स्टार्टअप में कार्यरत पेशेवरों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण करके भौतिक बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार किया जाएगा।

(ख) डीप–टेक पर केंद्रित एक सीड फंड योजना बनाना, जिसके तहत 5 वर्षों की अवधि में 80 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान किया जाएगा।

(ग) सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व में स्थापित "क्लास 1000 क्लीनरूम" का संचालन एवं रखरखाव किया जाएगा।

क्रमशः 2/–

4. इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज–2 के अंतर्गत निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :–

कैटेगरी	इंडीकेटर (केपीआई)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स	सपोर्ट टू इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स	1	1	1	2	2
इंडीजीनस इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी	नम्बर ऑफ पेटेंट्स फाईल्ड	1	1	3	3	3
रिच सपोर्ट टू एकेडमिक एण्ड इंडस्ट्रीज	नम्बर ऑफ पर्सन सपोर्टेड	20	40	60	100	100
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स	नम्बर ऑफ स्टूडेंट ट्रेंड	60	100	100	100	100
इंटर्नशिप्स	नम्बर ऑफ इंटर्न्स	120	120	120	120	120
एवेयरनेस विजिट	नम्बर ऑफ पर्सन विजिटिंग फैसिलिटी	500	1000	1000	1000	1000

5. इन्क्यूबेशन सेंटर आई०आई०टी० पटना फेज–2 के क्रियान्वयन से निम्नलिखित लाभ परिलक्षित होंगे :–

- स्टार्ट–अप्स के बीच सहयोग, मार्गदर्शन एवं नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए collaborative environment तैयार होगा।
- उद्योग एवं समाज के लिए नवीन तकनीकी समाधान विकसित होंगे।
- इनोवेटर्स और शोधकर्त्ताओं के लिए सुरक्षित एवं किफायती आवास का निर्माण होगा।
- राज्य के बाहर से आने वाले उद्यमियों की भागीदारी में वृद्धि होगी।
- क्लीनरूम अवसंरचना एवं उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखना।
- राज्य में सेमीकंडक्टर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, IoT, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य में निवेश आकर्षित होगा और स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

(8)

बिहार सरकार
गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेस नोट

विधि–व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थान आदि से आने–जाने के क्रम में लड़की/महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों (पुलिस दीदी) के लिए 1500 स्कूटी के क्रय हेतु प्रति अदद ₹ 1,25,000 की दर से लागत राशि ₹ 18,75,00,000 (अठारह करोड़ पचहत्तर लाख रू0) एवं पुलिस कर्मियों हेतु 3200 मोटरसाईकिल के क्रय हेतु प्रति अदद राशि ₹ 1,50,000 की दर से लागत राशि ₹ 48,00,00,000 (अड़तालीस करोड़ रू0) यानि कुल राशि ₹ 66,75,00,000 (छियासठ करोड़ पचहत्तर लाख रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

(प्रणव कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

(9)

पटना जिला के राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ERSS एवं राज्य पुलिस डाटा सेंटर के स्थायी भवन (B+2, G+7 Structure), फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि ₹ 17280.00 लाख (एक सौ बहत्तर करोड़ अस्सी लाख रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में।

(प्रणव कुमार)
सचिव

(10)

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

राज्य के बहुमंजिली भवनों की अग्नि सुरक्षा–सह–बचाव के लिए 62 मीटर उँचाई के 01 अद्द हाईड्रोलिक प्लेटफॉर्म–सह–टर्न टेबल एरीयल लैडर के क्रय हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3217, दिनांक–15.03.2024 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹ 1295.00 लाख (बारह करोड़ पंचानवे लाख रू0) मात्र को रद्द करते हुए उक्त 62 मीटर उँचाई के 01 अद्द हाईड्रोलिक प्लेटफॉर्म–सह–टर्न टेबल एरीयल लैडर के क्रय हेतु लागत राशि ₹ 1800.00 लाख (अठारह करोड़ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

पटना अवस्थित बहुमंजिली भवनों (यथा बिस्कोमान भवन, बापू टावर, ज्ञान भवन, एक्वासिटी अटलांटिस, सिटी सेंटर, वीनस एम्पायर इत्यादि) में अग्निशमन एवं बचाव कार्य किया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

(11)

प्रेस–नोट

राष्ट्रीय फॉरेन्सिक साईंसेस यूनिवर्सिटी (NFSU) के ऑफ–कैम्पस एवं केन्द्रीय फॉरेन्सिक साईंसेस लैबोरेटरी (CFSL) के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु पटना जिला के पुनपुन अंचल अन्तर्गत मौजा–डूमरी, थाना नं0–34 के विभिन्न खेसरा की कुल–50.00 एकड़ रैयती भूमि का MVR-2016-17 के आधार पर भू–अर्जन हेतु कुल अनुमानित लागत राशि ₹ 287,16,95,063 (दो सौ सतासी करोड़ सोलह लाख पनचानबे हजार तिरसठ रू0) मात्र की स्वीकृति।

(प्रणव कुमार)
सचिव

12

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

राज्य में कृषि विभाग के अधीन 239 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र हैं, जिसमें कृषि अनुसंधान एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित गुणवत्तायुक्त बीजों को किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

राज्य में बढ़ते हुए शहरीकरण एवं औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं तथा कृषि के अलावे अन्य विकासोन्मुख योजनाओं हेतु जमीनों की आवश्यकता हो रही है, जिसके लिए कृषि विभाग से जमीनों के लिए कृषि फार्म के हस्तांतरण की मांग की जा रही है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि कई जगहों पर कृषि विभाग के कृषि फार्म बढ़ते हुए शहरों के बीच में आ गये हैं, जिससे उनके मूल कार्य को करने में बाधा उत्पन्न होती है।

पूर्व में कृषि प्रक्षेत्रों के जमीन हस्तांतरण संबंधी नीति को भी विभागीय संकल्प संख्या 1289 दिनांक 18.04.2006 के द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में संशोधन किया गया है।

(डॉ० वीरेन्द्र प्रसाद यादव)
विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

13

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस नोट ।।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 के द्वारा सामूहिक सड़क दुर्घटना को राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन व गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई थी।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–4887 दिनांक–11.08.2021 के द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली 2021 के तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु एवं गम्भीर रूप से घायल होने पर तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान किया गया, जो दिनांक–15.09.2021 से प्रभावी था। तदालोक में आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3832 दिनांक–27.09.2021 के द्वारा विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के अन्तर्गत मानवजनित सामूहिक दुर्घटना यथा–सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव में से सामूहिक सड़क दुर्घटना को दिनांक–15.09.2021 के प्रभाव से विलोपित कर दिया गया।

3. बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को पाँच लाख रुपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पचास हजार रुपये की मुआवजा राशि भुगतान करने का प्रावधान था, जिसे विलोपित कर दिया गया है। साथ ही, मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के द्वारा मुआवजा संबंधी वादों के निष्पादन में अपेक्षाकृत प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है।

फलस्वरूप सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की ओर से त्वरित आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से सामूहिक सड़क दुर्घटना को पुनः राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल किए जाने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सामूहिक सड़क दुर्घटना को पुनः राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों व गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को राज्य आपदा रिस्पौंस फंड (SDRF) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

11/09/21

(डॉ० चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

(14)

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस नोट ।।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 के द्वारा राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा अन्तर्गत सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों व गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई थी।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली 2021 के तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु एवं गम्भीर रूप से घायल होने पर तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान किया गया, जो दिनांक–15.09.2021 से प्रभावी था।

तदालोक में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के अन्तर्गत मानवजनित सामूहिक दुर्घटना यथा–सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव में से सड़क दुर्घटना को दिनांक–15.09.2021 के प्रभाव से विलोपित कर दिया गया।

3. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा 'Hit & Run' सड़क दुर्घटना मामले में मृतक के परिजनों/घायलों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–163(अ), दिनांक–25.02.2022 के आलोक में मुआवजा के भुगतान हेतु दिशा निर्देश दिया गया, जो दिनांक–01.04.2022 से वर्तमान में प्रभावी है। साथ ही, बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 तथा बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 को विलोपित कर दिया गया।

4. फलस्वरूप दिनांक–15.09.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि में राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों तथा घायल व्यक्तियों को किसी सहायता राशि/मुआवजा का भुगतान किस विभाग के द्वारा किया जाए, से संबंधित मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

5. अतएव दिनांक–15.09.2021 से 31.03.2022 तक की अंतरिम अवधि में राज्य में सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों एवं गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को विभागीय पत्रांक–1973/आ०प्र० दिनांक–26.05.2015 के द्वारा संसूचित साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा किए जाने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रीपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त साहाय्य राशि केवल उन्हीं पीड़ितों को दी जाएगी, जिन्हें अन्य किसी भी स्तर से साहाय्य मानदर/अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया गया हो।

(डॉ० चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

(13)

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

प्रेस नोट

सहयोग हेल्पलाइन को नागरिकों एवं राज्य सरकार के बीच एक single, integrated एवं authoritative interface के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सभी सहभागी विभागों, निदेशालयों, जिला प्रशासन तथा क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा। इस platform का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों अथवा अनेक helplines से संपर्क करने की आवश्यकता से मुक्त करते हुए राज्य प्रशासन के अंतर्गत स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन (Structured Interaction), समन्वय (Coordination) एवं प्रतिक्रिया तंत्र (Response mechanism) के माध्यम से एकीकृत, citizen-centric सेवा उपलब्ध कराना है।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के लिए प्रदान की जाने वाली लोक सेवाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सहयोग हेल्पलाइन के अधिष्ठापन तथा दो वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव हेतु कुल राशि ₹ 72,76,00,000.00 (बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृत प्रदान की गयी है। उक्त योजना के क्रियान्वयन से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होगी :–

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में शिकायतें, सेवा अनुरोध तथा पूछताछ दर्ज करने हेतु नागरिकों को एक ऑथोरिएटेटिव इंटरफेस उपलब्ध कराना।
- मानकीकृत कार्यप्रवाह (standardized workflows) एवं Service Level Agreement (SLA) के माध्यम से समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी शिकायत निवारण सुनिश्चित करना।
- विभिन्न विभागीय हेल्पलाइन्स एवं पोर्टल्स के कारण उत्पन्न fragmentation को समाप्त करना।
- राज्य, जिला एवं विभागीय स्तर पर वरिष्ठ पदाधिकारियों को Real-time monitoring की सुविधा उपलब्ध कराना।
- शिकायतों से प्राप्त डेटा का उपयोग, प्रशासनिक समीक्षा एवं पॉलिसी फीडबैक हेतु एक गवर्नेंस इंटेलिजेंस टूल के रूप में करना।

➢ राज्य के आम नागरिकों को विभिन्न माध्यमों यथा– Toll-free वॉइस कॉल्स (voice calls) with Interactive Voice Response (IVR)/वेब पोर्टल/मोबाईल एप्लीकेशन/ई–मेल एवं एस०एम०एस०/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (X, Facebook, Instagram आदि) (X, Facebook, Instagram आदि) से Helpline की सुविधायें प्राप्त होंगी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

16

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

प्रेस नोट

सोनपुर (सारण) तथा अजगैबीनाथ धाम (भागलपुर) ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास हेतु डी०पी०आर० तैयार किये जाने हेतु निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी मेसर्स राईट्स लि० को कार्य आवंटित किये जाने तथा तत्संबंधी परामर्श शुल्क के रूप में राशि ₹5,06,22,000/– (पाँच करोड़ छः लाख बाईस हजार रूपये जी.एस.टी. सहित) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

चयनित एजेंसी द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के मास्टर प्लान सहित आवश्यक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार किए जायेंगें। साथ ही नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से 'In Principle approval' प्राप्त करना, निविदा प्रक्रियाओं के संचालन एवं संबंधित समस्त प्रक्रियाओं में विभाग को आवश्यक तकनीकी एवं परामर्शी सहयोग प्रदान करने का कार्य करेंगें।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner

17

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिनांक 10 जुलाई, 2025 को राँची में सम्पन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार एवं झारखंड के बीच वर्षो से लंबित सोन नदी जल बंटवारा को सुलझाया गया।

वर्ष 1973 में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच हुए बाणसागर समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल आवंटित था। वर्ष 2000 में राज्य के बंटवारे के बाद झारखण्ड द्वारा दोनों राज्यों के बीच जल का बंटवारा किए जाने की माँग उठाई जाती रही एवं इस मुद्दे की वजह से बिहार की इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना पर सहमति नहीं दी जा रही थी। बिहार द्वारा बंटवारे हेतु फार्मुला दिए गए परंतु मामले का समाधान नहीं हो पा रहा था।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में विमर्शोपरान्त दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी कि अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल में से 5.75 MAF जल बिहार को एवं 2.00 MAF जल झारखण्ड को मिलेगा। तत्संबंधी बिहार एवं झारखंड के बीच सम्पन्न होने वाले एकरारनामा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। तदुपरान्त झारखंड सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनः संशोधित एकरारनामा प्रारूप तैयार कर दोनों राज्यों को मंतव्य/सहमति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया, जिसपर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस निर्णय से वर्षों से लंबित इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया, एवं अरवल जिले में सिंचाई सुविधा को स्थायित्व प्रदान किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

18

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत "जमानियाँ से ककरैत गंगाजल उद्वह सिंचाई योजना" के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिलान्तर्गत जमानियाँ के पास गंगा नदी पर पम्प हाउस का निर्माण कर गंगा नदी के जल को उद्वह करके भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से बिहार के कैमूर जिलान्तर्गत ककरैत घाट के पास कर्मनाशा नदी में अतिरिक्त जलश्राव उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। इस योजना को जून, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

योजना के कार्यान्वयन से कर्मनाशा नदी पर निर्मित कर्मनाशा पम्प, लरमा पम्प एवं तियरा पम्प के माध्यम से रामगढ़, दुर्गावती एवं नुऑव प्रखंड के कुल 10,000 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

योजनान्तर्गत अधिकांश भू–भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य एवं केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रक्रियाधीन है।

योजनान्तर्गत पम्प हाउस, पावर सब–स्टेशन तथा पाईप लेईंग निर्माण कार्य हेतु दोनों राज्यों के संयुक्त दल द्वारा स्थल निरीक्षण कर भू–अर्जन कार्य निमित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 5.86339 हेक्टेयर भूमि का अर्जन/क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के आलोक में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित कैमूर जिलान्तर्गत "जमानियाँ से ककरैत गंगाजल उद्वह सिंचाई योजना" के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग कुल 5.86339 हेक्टेयर भूमि को कार्यपालक अभियंता, जमानियाँ पम्प नहर प्रमंडल, मोहनियाँ के माध्यम से क्रय किया जायेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

19

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

विभागीय राज्यादेश सं0—1679(6)/रा0 एवं 1680(6)/रा0, दिनांक—04.10.2024 के द्वारा बिहार राज्य अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य क्रमशः 300.92 एकड़ एवं 572.68 एकड़ कुल रकवा—873.60 एकड़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना को हस्तान्तरित गैर वन भूमि में से राष्ट्रीय उच्च पथ के अतिरिक्त राज्य उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग के अन्य परियोजनाओं में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—1748, दिनांक—25.03.2026 के अंकित शर्तों के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में।

हस्ताक्षर :—
नाम :— सी0 के0 अनिल
पदनाम :— प्रधान सचिव

२०

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

दरभंगा जिलान्तर्गत सदर दरभंगा अंचल के मौजा–वासुदेवपुर, थाना नं0–449, खाता सं0–2342 के विभिन्न खेसरा में अवस्थित कुल रकवा–1.35 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि दरभंगा हवाई अड्डा के स्थायी सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– सी0 के0 अनिल
पदनाम :– प्रधान सचिव

२१

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत अंचल–पटना सदर के मौजा–पुरन्दरपुर, थाना सं0–21, खाता सं0–31, खेसरा सं0–131, रकवा– 5.4719 एकड़ एवं मौजा–चाँदपुरबेला, थाना सं0–28, खाता सं0–23, खेसरा सं0–94, रकवा–1.5281 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकवा–7.00 एकड़ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्वामित्व की भूमि पर चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग, बिहार पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति

हस्ताक्षर :–
नाम :– सी0 के0 अनिल
पदनाम :– प्रधान सचिव

२२

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल–बरौनी, मौजा–मल्हीपुर, थाना सं0–503, खाता सं0–261, खेसरा सं0–890 की कुल प्रस्तावित रकवा–20.00 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म– रेता बिहार सरकार की भूमि नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) के स्थापना हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :
नाम :– सी0 के0 अनिल
पदनाम :– प्रधान सचिव